



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक, 1943 (श०)

संख्या-542 राँची, बुधवार,

27 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 अक्टूबर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-23/2020-17488 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजेश कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला- औरंगाबाद 'बिहार'), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातू, राँची के विरुद्ध दिनांक 21.01.2020 को एक दिन के लिए आकस्मिक अवकाश का आवेदन समर्पित कर एक लम्बी अवधि से बिना कारण बताये अनुपस्थित रहना एवं उक्त अनुपस्थिति हेतु पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं देना, दिनांक 27.02.2020 को रातू अंचल में दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के लॉगइन में क्रमशः 104, 95 एवं 617 मामलों का लम्बित रहना, इसके अतिरिक्त बिना कोई अभ्युक्ति अंकित किये बड़ी संख्या में दाखिल-खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)-(i)(ii){iii} के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, राँची के पत्रांक-392(ii)/स्था०, दिनांक 11.03.2020 द्वारा गठित प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मिश्र के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मिश्र को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मिश्र द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJESH KUMAR MISHRA JHK/JAS/193	श्री राजेश कुमार मिश्र, झा०प्र०से० (चतुर्थ ‘सीमित’ बैच, गृह जिला-औरंगाबाद ‘बिहार’), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रातु, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
